रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 1999/वैशाख 29, 1921
No. 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 1999/VAISAKHA 29, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 1999

संख्यांक-25/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 370(अ).— केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के स्तम्भ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति संशोधित या और संशोधित किया जाएगा ।

सारणी

क्रमसं.	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	126/94 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख- 2 सितम्बर, 1994.	(1) उक्त अधिसूचना में, पैरा (1) में, - (क) खंड (ख)में " भारत से बाहर निर्यात के लिए या" शब्दों के स्थान पर " भारत के बाहर निर्यात के लिए ; या भारत के बाहर सेवाओं के निर्यात के लिए, या" शब्द रखे जाएंगे । (ख) शर्त (5) में " ऐसे माल की प्राप्ति, भंडारण तथा उपयोग" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- " निर्यात की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए ऐसे माल की प्राप्ति, भंडारण और उपयोग और इस अधिसूचना में अनुबद्ध शर्तों का और निर्यात-आयात नीति का अनुपालन करने के लिए तथा मांग किए जाने पर माल पर उद्ग्रहणीय

शुल्क और उक्त शुल्क पर 20 प्रतिशत ब्याज के बराबर रकम का उक्त माल के निःशुल्क उपापण की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक, संदाय करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है, यदि, -

(i) पूंजीगत मालों की दशा में ऐसे माल जो सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप से साबित नहीं किया जाता है कि ऐसे मालों को उनके उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या उस विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अनधिक होगी जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का यह समाधान हो जाने पर कि उनको उपरोक्त रूप से उपयोग में नहीं लाने के पर्याप्त कारण थे, अनुज्ञात करे जोन के भीतर प्रतिस्थापित किया गया है या अन्यथा उपयोग किया गया है ;

(ii) पूंजीगत मालों से भिन्न मालों की दशा में, ऐसे माल को जिन्हें सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है या उनके उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उक्त रूप में उनके उपयोग नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण थे अनुज्ञात करे , भारत से बाहर निर्यात के लिए उत्पादन करने या पैकेज करने के लिए उपयोग में लाए गए हैं या घरेलू खपत के लिए निकासी की गई है ;

(iii) उस दशा में जहां , -

(क) उत्पादित या पैक किए गए माल, ऐसे माल जिनका भारत से बाहर निर्यात नहीं किया गया है, और

(ख) अनुप्रयुक्त माल (जिनके अन्तर्गत रिक्त शंकु, बोबीन्स या आधान हैं, यदि कोई हो जो पुनःउपयोग के लिए उपयुक्त है) जिनका घरेलू खपत के लिए निर्यात किया गया है या निकासी की गई है ,

ऐसे माल के उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर या जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उक्त रूप में उनका उपयोग नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अनुज्ञात करे ; नहीं की गई है,

(iv) ऐसी कच्ची सामग्री, संघटकों, फालतू पूर्जों और खपने योग्य सामग्रियों (पूंजीगत मालों से भिन्न) जिनका निःशुल्क उपापण किया गया है, वे एकक जो निर्यात और आयात नीति के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट हैं, निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन क्षमता (ई.पी.) को अर्जित करने में, ऐसे माल के उपापण की तारीख के एक वर्ष के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अधिक नहीं है जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि पर्याप्त कारण थे, अनुज्ञात करे, असफल रहता है :

परन्तु यह कि सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.पी.) या निर्यात निष्पादन क्षमता (ई.पी.) की प्राप्ति के लिए अवधि को उपापण की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ; ";

(ग) पैरा 2 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (क) एकक में उक्त माल या वे माल जो एकक में भागतः प्रसंस्कृत, विनिर्मित, उत्पादित या पैक किए जाते हैं उन्हें जोन से बाहर शुल्क का संदाय

किए बिना मरम्मत, प्रसंस्करण, परीक्षण, सम्प्रदर्शन या कार्य के लिए ले जाने और तत्पश्चात् एकक में उन्हें वापस करने या उन्हें शुल्क का संदाय किए बिना फुटकर काम करने वालों के परिसरों से निर्यात के लिए बन्धपत्र के अधीन हटाने के लिए अनुज्ञात करे :

परन्तु यह कि फुटकर काम करने वालों के परिसरों में ऐसे प्रसंस्करण के दौरान प्रजनित अपशिष्ट या स्क्रैम या अवशिष्टों को या तो एकक को वापस किया जाता है या उक्त अपशिष्ट या स्क्रैम या अवशिष्ट पर शुल्क का संदाय कर के ऐसी निकासी की जाती है मानो उनकी उक्त एकक द्वारा निकासी की गई है;";

(घ) पैरा 5 में " समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किए जाने पर" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएँगे, -

" समुचित उत्पाद शुल्क के संदाय किए जाने पर या जहां ऐसी वस्तुएं जो शुल्क का संदाय किए बिना भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 26/ 98 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) तारीख 15 जुलाई 1998 के अधीन नियुक्त या रजिस्ट्रीकृत भांडागार के लिए निकासी की जाती है, या निर्यात और आयात नीति के पैरा 9.10 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारकों को शुल्क के संदाय के बिना निकासी की जाती है ; ";

(ङ) उपाबंध I में,

(i) क्रम संख्या 3 के सामने " माल का वर्णन" स्तम्भ में " और उनके अतिरिक्त पूर्जे, ईंधन, स्नेहक और ऐसे संयंत्रों और सेटों के लिए जो अन्य खपने योग्य सामग्री है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्या 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 3क अतिरिक्त पूर्जे, ईंधन, स्नेहक और सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित क्रम संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट अन्य खपने योग्य माल ।"

2. 136/94 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 10 नवम्बर, 1994.

(क) शर्त (ख) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(खक) " ऐसा उपक्रम ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के लिए बंधपत्र निष्पादित करता है जो सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने और उन शर्तों का अनुपालन करने के लिए जो विहित की जाएं, जो इस अधिसूचना में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना संख्यांक 1/1997-2000 तारीख 31 मार्च 1997 को यथा संशोधित प्रकाशित की गई निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल 1997-31 मार्च 2002 में अनुबद्ध है (जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्यात और आयात नीति कहा गया है) और वह स्वयं को मांग किए जाने पर माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के और उस पर 20 प्रतिशत की दर से ब्याज की रकम के बराबर उक्त माल के निःशुल्क उपापण की तारीख से ऐसे शुल्क का संदाय किए जाने तक स्वयं को आबद्ध करता है, यदि --

(i) पूंजीगत मालों की दशा मे, ऐसे माल जिन्हें सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है या उनके उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एकक में उपयोग

किया गया है या उस विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अधिक नहीं है जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपना यह समाधान हो जाने पर कि उपरोक्त के रूप में उक्त अवधि के भीतर उपयोग नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण अनुज्ञात करे ;

(ii) पूंजीगत मालों से भिन्न माल की दशा मे, ऐसे माल जिन्हें सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है उन्हें भारत से बाहर निर्यात के लिए माल के उत्पादन या पैक करने के लिए उपयोग में लाया गया है या उनके उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उपरोक्त के उक्त अवधि के भीतर उपयोग नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण थे, घरेलू उपयोग के लिए निकासी की गई है, अनुज्ञात किया गया है, अनुज्ञात करे ;

(iii) उस दशा में जहां, -

(क) उत्पादित या पैक किए गए माल, ऐसे माल जिनका भारत से बाहर निर्यात नहीं किया गया है, और

(ख) अनुप्रयुक्त माल (जिनके अन्तर्गत रिक्त शंकु, बोबीन्स या आधान हैं, यदि कोई हो जो पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त है) जिनका घरेलू खपत के लिए निर्यात या निकासी नहीं की गई है,

ऐसे माल के उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर या जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उक्त रूप में उनका उपयोग नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण थे, अनुज्ञात करे ; नहीं की गई है

(iv) ऐसी कच्ची सामग्री, संघटकों, फालतू पूर्जों और खपने योग्य सामग्रियों (पूंजीगत मालों से भिन्न) जिनका निःशुल्क उपापण किया गया है, वे एकक जो निर्यात और आयात नीति के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट हैं, निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन क्षमता (ई.पी.) को अर्जित करने में, ऐसे माल के उपापण की तारीख के एक वर्ष के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अधिक नहीं है जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि पर्याप्त कारण थे, अनुज्ञात करे, असफल रहता है :

परन्तु यह कि सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.पी.) या निर्यात निष्पादन क्षमता (ई.पी.) की प्राप्ति के लिए अवधि को उपापण की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ; ";

(ख) उपाबंध 2 में, मद 7के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के विभिन्न अध्यायों के अन्तर्गत आने वाली प्रसंस्कृत सब्जियां और फल, मांस और खाने योग्य मांस के छीछड़े";

3.	1 / 95 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4 जनवरी, 1995.	(1) उक्त अधिसूचना में, पैरा (1) में, - (क) शर्त (घ) में " ऐसे माल की प्राप्ति, भंडारण तथा उपयोग" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- " निर्यात की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए ऐसे माल की प्राप्ति, भंडारण और उपयोग और इस अधिसूचना में अनुबद्ध शर्तों का और निर्यात-आयात नीति का अनुपालन करने के लिए तथा मांग किए जाने पर माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क और उक्त शुल्क का 20 प्रतिशत ब्याज के बराबर रकम का , उक्त माल के निःशुल्क उपापण की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक, संदाय करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है, यदि, - (i) पूंजीगत मालों की दशा में ऐसे माल जो सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप से साबित नहीं किया जाता है कि ऐसे मालों को उनके उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या उस विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अनधिक होगी जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का यह समाधान हो जाने पर कि उनको उपरोक्त रूप से उपयोग में नहीं लाने के पर्याप्त कारण थे, अनुज्ञात करे बंधित परिसर के भीतर प्रतिस्थापित किया गया है या अन्यथा उपयोग किया गया है ; (ii) पूंजीगत मालों से भिन्न मालों की दशा में, ऐसे माल को जिन्हें सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है या उनके उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उक्त रूप में उनके उपयोग नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण थे अनुज्ञात करे , भारत से बाहर निर्यात के लिए उत्पादन करने या पैकेज करने के लिए उपयोग में लाए गए हैं या घरेलू खपत के लिए निकासी की गई है ; (iii) उस दशा में जहां , - (क) उत्पादित या पैक किए गए माल, ऐसे माल जिनका भारत से बाहर निर्यात नहीं किया गया है, और (ख) अनुप्रयुक्त माल (जिनके अन्तर्गत रिक्त शंकु, बोबीन्स या आधान हैं, यदि कोई हो जो पुनःउपयोग के लिए उपयुक्त है) जिनका घरेलू खपत के लिए निर्यात किया गया है या निकासी की गई है , ऐसे माल के उपापण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर या जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उक्त रूप में उनका उपयोग नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अनुज्ञात करे ; नहीं

की गई है,

(iv) ऐसी कच्ची सामग्री, संघटकों, फालतू पूर्जों और खपने योग्य सामग्रियों (पूंजीगत मालों से भिन्न) जिनका निःशुल्क उपापण किया गया है, वे एकक जो निर्यात और आयात नीति के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट हैं, निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन क्षमता (ई.पी.) को अर्जित करने में, ऐसे माल के उपापण की तारीख के एक वर्ष के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अधिक नहीं है जिसे सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि पर्याप्त कारण थे, अनुज्ञात करे, असफल रहता है :

परन्तु यह कि सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.पी.) या निर्यात निष्पादन क्षमता (ई.पी.) की प्राप्ति के लिए अवधि को उपापण की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ; ";

(ख) पैरा 2 में, खंड (क) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

" या फुटकर काम करने वालों के परिसर से सम्यक् बंधपत्र के अधीन शुल्क का संदाय किए बिना निर्यात के लिए हटाया जाएगा "

परन्तु यह कि फुटकर काम करने वालों के परिसरों में ऐसे प्रसंस्करण के दौरान प्रजनित अपशिष्ट या स्क्रैम या अवशिष्टों को या तो एकक को वापस किया जाता है या उक्त अपशिष्ट या स्क्रैम या अवशिष्ट पर शुल्क का संदाय कर के ऐसी निकासी की जाती है मानो उनकी उक्त एकक द्वारा निकासी की गई है;";

(ग) पैरा 5 में " समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किए जाने पर" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएँगे, -

" समुचित उत्पाद शुल्क के संदाय किए जाने पर या जहां ऐसे माल जिनकी शुल्क का संदाय किए बिना भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 26/ 98 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) तारीख 15 जूलाई 1998 के अधीन नियुक्त या रजिस्ट्रीकृत भांडागार के लिए निकासी की जाती है, या निर्यात और आयात नीति के पैरा 9.10 के खंड (ड) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारकों को शुल्क के संदाय के बिना निकासी की जाती है ; ";

(घ) उपाबंध I में,

(i) मद संख्यांक 3 और 3क के सामने "और ऐसे संयंत्रों और सेटों के लिए अतिरिक्त पूर्जे, जो अन्य खपने योग्य सामग्री है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद संख्यांक 3ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 3ख अतिरिक्त पूर्जे, ईंधन, स्नेहक और विकास आयुक्त की सिफारिश पर सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित क्रम संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट अन्य खपने योग्य माल ।"

(iii) मद संख्यांक 3ग के सामने " सीमा शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर

"सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;

1	2	3
4.	2/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 जनवरी, 1995	उक्त अधिसूचना में,- (क) तीसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :— "परन्तु यह भी कि इस अधिसूचना के अधीन छूट तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि सहायक आयुक्त का यह समाधान नहीं हो जाता है कि उक्त माल, जिसके अन्तर्गत साफ्टवेयर, प्रतिक्षेपित, स्क्रैप, अपशिष्ट या अवशेष भी है,— (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी की जा रही है, स्क्रैप, अपशिष्ट या अवशेष से भिन्न वैसा ही माल है जिसका निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 के अनुसार ऐसी निकासी की विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उक्त एककों से निर्यात किया जाता है या निर्यात किए जाने के लिए आशयित हैं; (ख) ऐसे एकक से घरेलू उपभोग के लिए निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 के पैरा 9.9 और 9.20 के अधीन निकासी किए जाने वाले ऐसे माल की कुल कीमत उक्त एकक द्वारा उस वर्ष (1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले और आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष) के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त नि:शुल्क कीमत का 50% से अधिक न हो और उक्त एकक ने उक्त नीति की परिशिष्ट 1 में विहित निर्यातों की प्रतिशतता के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन (एनएफईपी) को पूरा कर लिया हो; और (ग) ऐसे माल के उत्पादन का अतिशेष जो ऐसे माल के समान है जो माल के घरेलू उपभोग के लिए निकासी के अधीन है, भारत के बाहर निर्यात किया जाता है या निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002, के पैरा 9.10 के अनुसार व्ययन किया जाता है।" (ख) 'सारणी' का लोप किया जाएगा।
5.	10/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 फरवरी, 1995	उक्त अधिसूचना में,- (i) पैरा 1 में,— (क) शर्त (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(2क) ऐसे उपक्रम, निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के लिए और इस अधिसूचना और समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997-2002, तारीख 31 मार्च, 1997 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्यात और आयात नीति कहा गया है) में वर्णित शर्तों की अनुपालना के लिए और मांग किए जाने पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क और उक्त माल के शुल्क-मुक्त उपाप्त किए जाने की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय तक उक्त शुल्क पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए स्वयं को आबद्ध करते हुए ऐसे प्रारूप और ऐसी रकम के लिए जो सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त बचनबंध निष्पादित करता है; (i) पूंजी माल की दशा में, ऐसे माल के बारे में सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समाधान के लिए यह साबित नहीं किया जात है कि उक्त माल उक्त एकक में उक्त माल के उपाप्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सहायक सीमा-शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त माल का उक्त अवधि के भीतर उपरोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, अनुज्ञात करें स्थापित नहीं किया गया है या उसका अन्यथा उपयोग नहीं किया गया है; (ii) पूंजी माल के भिन्न माल की दशा में, ऐसे माल के बारे में सहायक सीमा-शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, आयुक्त के समाधान के लिए यह साबित नहीं किया जाता है कि उक्त माल को उपाप्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे सहायक सीमा-शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त माल का उक्त अवधि के भीतर उपरोक्त उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, अनुज्ञात करें, भारत के बाहर आयात के लिए माल का उत्पादन या पैकिंग के संबंध में उपयोग किया गया है या उसकी घरेलू उपभोग के लिए निकासी की गई है;

1	2	3
		(iii) (क) यथा उत्पादित या पैक किए गए माल, और (ख) अप्रयुक्त माल (जिसके अंतर्गत बार-बार उपयोग किए जाने के लिए उचित आधान और पैकिंग सामग्री भी है) की दशा में, जो ऐसे माल के उपाप्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे सहायक सीमा-शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त माल का उक्त अवधि के भीतर उपरोक्त उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, अनुज्ञात करें, भारत के बाहर निर्यात नहीं किया गया है या उसकी घरेलू उपभोग के लिए निकासी नहीं की गई है। (iv) शुल्क-मुक्त उपाप्त की गई कच्ची सामग्री, से संघटकों, पुर्जों या उपभोज्य माल (पूंजी माल से भिन्न) की दशा में, उक्त उपक्रम ऐसे माल के उपाप्त किए जाने के एक वर्ष के भीतर की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा जिसे सहायक सीमा-शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा न करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, अनुज्ञात करें, निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन (एनएफईपी) और निर्यात अनुपालन (ईपी) जैसे कि निर्यात और आयात नीति की परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट है, पूरा करने में असफल रहता है : परन्तु सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, आयुक्त निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन (एनएफईपी) या निर्यात अनुपालन (ईपी) पूरा करने के लिए उक्त अवधि को ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा जो ऐसे उपाप्त किए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी;''

[फा. सं. 305/18/99-एफटीटी]
राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : 1. मूल अधिसूचना 126/94-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 2 सितंबर, 1994 सा.का.नि. सं. 667(अ) के अधीन 2 सितंबर, 1994 को जारी की गई थी और जिसका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 220(अ) तारीख 11-04-97 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 21/97-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 11 अप्रैल, 1997 द्वारा किया गया था।

2. मूल अधिसूचना 136/94-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 10 नवंबर, 1994 सा.का.नि. सं. 798(अ) के अधीन जारी की गई थी और जिसका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 117(अ) तारीख 1 मार्च, 1997 के अधीन अधिसूचना सं. 11/97-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा किया गया था।

3. मूल अधिसूचना 1/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 जनवरी, 1995 सा.का.नि. सं. 8(अ) के अधीन 4 जनवरी, 1995 को जारी की गई थी और जिसका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 581(अ) तारीख 15 सितंबर, 1998 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 31/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा किया गया था।

4. मूल अधिसूचना 2/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 जनवरी, 1995 सा.का.नि. सं. 9(अ) तारीख 5 जनवरी, 1995 के अधीन जारी की गई थी और जिसका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 570(अ) के अधीन अधिसूचना सं. 29/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 8 सितंबर, 1998 द्वारा किया गया था।

5. मूल अधिसूचना 10/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 फरवरी, 1995 सा.का.नि. सं. 87(अ) के अधीन 23 फरवरी, 1995 को जारी की गई थी और जिसका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 635(अ) के अधीन अधिसूचना सं. 112/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 14 सितंबर, 1995 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 25/99-Central Excise

New Delhi, the 19th May, 1999

G. S. R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public intersest so to do, hereby directs that each of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	126/94-Central Excise dated the 2nd September, 1994.	In the said notification,— (1) in paragraph 1,— (a) in clause (b) for the words "for export out of India; or" the words— "for export out of India; or for export of service out of India; or" shall be substituted. (b) in condition (5) for the words "storage and utilization of such goods;", the following shall be substituted, namely :— "storage and utilization of such goods, to fulfil the export obligations and comply with the conditions stipulated in this notification, and the Export and Import Policy and binding itself to pay on demand an amount equal to the duty leviable on the goods and intrest at 20% per annum on the said duty from the date of duty free procurment of the said goods till the date of payment of such duty, if— (i) in the case of capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to have been installed or otherwise used within the zone within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period not exceeding five years as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisifed that there is sufficient cause for not using them as above within the said period allow; (ii) in the case of goods other than capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to have been used in connectioin with the production or packaging of goods for export out of India or cleared for home comsumption within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow; (iii) in the case of— (a) goods produced or packaged, such goods have not been exported out of India; and (b) unused goods (including empty cones, bobbins or containers, if any, suitable for repeated use) as have not been exported or cleared for home consumption, with a period of one year from the date of procurement of such goods or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(1)	(2)	(3)
		(iv) in the case of raw materials, components, spares and consumbles (other than capital goods) procured duty free, the unit fails to achieve Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Exports (NFEP) and Export Performance (EP) as specified in Appendix-1 of the Export and Import Policy, within one year of procurement of such goods or within such extended period not exceeding one year as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause; allow : Provided that the Commissioner of Customs or Central Excise may extended the period for achievement of Net Foreign Exchnge as a Percentage of Exports (NFEP) or Export Performance (EP) for further, period, not exceeding five years, from the date of procurments;"; (c) in paragraph 2, for clause (a), the following shall be substituted, namely :— "(a) permit the said goods or goods partially processed, manufactured, produced or packaged in the unit to be taken outside the zone without payment of duty, for repairs, processing, testing, display or jobwork and to be returned to the unit thereafter or remove the same without payment of duty under bond for export from jobworker's premises : Provided that wastes or scrap or remnants generated during such process at the jobworker's premises is either returned to the unit or is cleared on payment of duty on the said waste or scrap or remnants as if cleared by the said unit;"; (d) in the paragrph 5, for the words "on payment of appropriate duty of excise" the words "on payment of appropriate duty of excise or where such articles are cleared to the warehouse appointed or registered under notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 26/98-Central Excise (NT), dated the 15th July, 1998 or cleared to the licence holders referred to in clause (e) of paragraph 9.10 of the Export and Import Policy, without payment of duty." shall be substituted; (e) in Annexure I, (i) against serial number 3, in the column "Description of Goods", the words "and their spares, fuel, lubricants and other consumables for such plants and set" shall be omitted; (ii) after serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be inserted namely :— "3A Spares, fuel, lubricants and other consumables for goods specified at serial number 3 above as approved by the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise."
2.	136/94-Central Excise, dated the 10th November, 1994.	In the said notification— (a) after the condition (b) the following condition shall be inserted, namely — "(ba) such undertaking executes a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to fulfil the export obligation and comply with the conditions stipulated in this notification and the Export and Import Policy 1 April, 1997—31 March 2002, published by the Government of India under the Ministry of Commerce notification No. 1/1997—2002, dated 31st March, 1997 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Export and Import Policy) and binding itself to pay on demand an amount equal to the duty leviable on the goods and interest at the rate of 20% per annum on the said goods from the date of duty free procurement of the goods till the payment of such duty, if— (i) in the case of capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to have been installed or

(1)	(2)	(3)
		otherwise used within the unit within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period not exceeding five years as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow; (ii) in the case of goods other than capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commisisoner of Customs or Central Excise to have been used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or cleared for home consumption within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow; (iii) in the case of— (a) goods as produced or packaged, such goods have not been exported out of India; and (b) unused goods (including containers and packaging materials suitable for repeated use) as have not been exproted or cleared for home consumption, within a period of one year from the date of procurement of such goods or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficent cause for not using as above, allow;" (iv) in the case of raw materials, components, spares and consumables (other than capital goods) procured duty free, the undertaking fails to achieve Net Foreign Exchange Earning as Percentage of Exports (NFEP) and Export Performance (EP) as specified in Appendix-1 of the Export and Import Policy, within one year of procurement of such goods or within such extended period not exceeding one year as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause, allow : Provided that the Commissioner of Customs or Central Excise may extended the period for achievement of Net Foreign Exchange as a Percentage of Export (NFEP) or Export Performance (EP) for further period, not exceeding five years, from the date of procurement;"; (b) in Annexure II, after item 7, the following item shall be inserted, namely :— "(8) processed vegetables and fruits, meat, and edible meat offal falling within various Chapters of the Central Excise Tariff"
3.	1/95-Central Excise, dated the 4th January, 1995.	In the said notification,— (a) in paragraph 1,— in condition (d), for the words "storage and utilization of such goods;", the following shall be susstituted, namely :— "storage and utilization of such goods and to fulfil the export obligations and to comply with the condition stipulated in this notification and the Export and Import Policy, and binding itself to pay on demand an amount equal to the duty leviable on the goods and interest at the rate of 20% per annum on the said duty from the date of duty free procurement of the said goods till the date of payment of such duty, if— (i) in the case of capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to have been installed or otherwise used within the bonded premises within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period not exceeding five years as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(1)	(2)	(3)

(ii) in the case of goods other than capital goods, such goods as are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Costoms or Central Excise to have been used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or cleared for home consumption within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period as the Assistant Commissioner of Custom or Central Excise May, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(iii) in case of—

(a) goods so produced or packaged, such goods have not been exported out of India, and

(b) unused goods (including empty cones, bobbins or containers, if any, suitable for repeated use) as have not been exported or cleared for home consumption,

within a period of one year from the date of procurement of such goods or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;";

(iv) in the case of the raw materials, components, spares and consumables (other than capital goods) procured duty free, the user industry fails to achieve Net Foreign Exchange Earning as Percentage of Exports (NFEP) and Export Performance (EP) as specified in Appendix-1 of the Export and Import Policy, within one year of procurement of such goods or within such extended period not exceeding one year as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause, allow:

Provided that the Commissioner of Customs or Central Excise may extended the period for achivement of Net Foreign Exchange as a percentage of Exports (NFEP) or Export Performance (EP) for further period not exceeding five years from the date of procurement;";

(b) in the paragraph 2, to clause (a), the following shall be added at the end, namely:—

"or to be removed without payment of duty under bond for export from jobworker's premises:

Provided the waste or scrap or remnants generated during such processes at the jobworker's permises is either returned to the unit or is cleared on payment of duty as if the said waste or scrap or remnants have been cleared by the said unit;";

(c) in paragraph 5, for the words "on paymnent of appropriate duty of excise", the following shall be substituted, namely—

"on payment of appropriate duty of excise of where such goods are cleared to the Warehouse appointed or registered under notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 26/98-Central Excise(NT), dated the 15th July, 1998 or cleared to the licence holders referred to in clause (e) of paragraph 9.10 of the Export and Import Policy, without payment of duty:"

(d) in Annexure I—

(i) against item numbers 3 and 3A, the words "and the spares for such plants and sets" shall be omitted;

(ii) for item 3B, the following shall be substituted, namely:—

"3B Spare, fuel, lubricants and consumables for goods specified at 3 and 3A above as approved by the Assistant Commissioner of Custom of Central Excise on the recommendation of the Development Commissioner"

(1)	(2)	(3)
		(iii) against item number 3C, for the word; "Commissioner of Customs", the words "Assistant Commissioner of Customs or Central Excise" shall be substituted.
	2/95-Central Excise dated the 4th January, 1995.	In the said notification,—
		(a) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— "Provided also that the exemption under this notification shall not be availed until the Assistant Commissioner is satisfied that the said goods, including software, rejects, scrap, waste or remnants,— (a) being cleared for home consumption, other than scrap, waste or remnants are similar to the good which are exported from the units during specified period of such clearances in terms of Export and Import Policy, 1 April, 1997—31 March, 2002; (b) the total value of such goods being cleared under paragraphs 9.9 and 9.20 of the Export and Import Policy, 1 April, 1997—31 March, 2002, for home consumption from the unit does not exceed 50% of the free on board value of exports made during the year (Starting from 1st April of the year and ending with 31st March of next year) by the said unit and the unit has fulfilled the minimum Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Exports (NFEP) prescibed in Appendix-1 of the said Policy; and (c) the balance of the production of the goods which are similar to such goods under clearance for home consumption, is export out of India or disposed of in terms of paragraph 9.10 of the Export and Import Policy, 1 April, 1997—31 March, 2002."
		(b) the 'Table' shall be omitted.
5.	10/95-Central Excise, dated the 23rd February, 1995.	In the said notification,—
		(i) in the paragraph 1,—
		(a) after the condition (2), the following shall be inserted, namely :— "(2A) such undertaking executes a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to fulfil the export obligations and comply with the conditions stipulated in this notification and the Export and Import Policy, 1st April, 1997—31 March, 2002, published by the Government of India under the Ministry of Commerce notification No. 1/1997/2002, dated 31st March, 1997 as amended from time to time, (thereafter referred to as the Export and Import Policy) and binding itself to pay on demand an amount equal to duty leviable on the goods and interest at the rate of 20% per annum on the said duty from the date of duty free procurement of the said goods till the payment of such duty;
		(i) in the case of on goods which are capital goods, such goods as are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to have been installed or otherwise used within the unit within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period not exceeding five years as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;
		(ii) in the case of goods other than capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise to have been used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or cleared for home consumption within a period of one year from the

(1)	(2)	(3)

date of procurement thereof or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(iii) in the case of—

(a) on goods as produced or packaged, such goods have not been exported out of India, and

(b) unused goods (including containers and packaging materials suitable for repeated use) as have not been exported or cleared for home consumption,

within a periof of one year from the date of procurement of such goods or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being saisfied that there is sufficient cause for not using as above, allow;

(iv) in the case of the raw materials, components, spares and consumables (other than capital goods) procured duty free, the undertaking fails to achieve Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Exports (NFEP) and Export Performance (EP) as specified in Appendix-1 of the Export and Import Policy, within one year of procurement of such goods or within such extended period not exceeding one year as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause, allow:

Provided that the Commissioner of Customs or Central Excise may extend the period for achievement of Net Foreign Exchange as a Percentage of Exports (NFEP) or Export Performance (EP) for further period not exceeding five years from the date of procurement;"

[F. No. 305/18/99-FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

NOTE :—The principal notification 126/94-Central Excise, dated the 2nd September, 1994 was issued on 2nd September, 1994 under G.SR. No. 667(E) and was last amended by notification number 21/97-Central Excise, dated the 11th April, 1997 issued under G.S.R. No. 220 (E) dated 11-4-97.

2. The principal notification 136/94-Central Excise, dated the 10th November, 1994 was issued under G.SR. No. 798(E) and was last amended by notification number 11/97-Central Excise, under G.S.R. No. 117(E), dated 1st March, 1997.

3. The principal notification 1/95-Central Excise, dated the 4th January, 1995 was issued on 4th January, 1995 under G.S.R. No. B(E) and was last amended by notification number 31/98-Central Excise, issued under G.S.R. No. 581 (E) dated the 15th September, 1998.

4. The principal notification 2/95-Central Excise, dated the 4th January, 1995 was issued under G.S.R. No. 9(E) dated 4th January 1995 and was last amended by notification number 29/98-Central Excise, dated the 8th September, 1998 under G.S.R. No. 570(E).

5. The principal notification 10/95-Central Excise, dated the 23rd Februnary, 1995 was issued on 23rd February, 1995 under G.S.R. No. 87(E) and was last amended by notification number 112/95-Central Excise, dated the 14th September, 1995 under G.S.R. No. 635(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999